विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0033213

श्री तीरथ प्रसाद दहायत, — **आवेदक**
पिता श्री भोला प्रसाद दहायत,
निवासी ग्राम – कटियाकला,
तहसील – मैहर,
जिला – सतना (म.प्र.)

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत, — अनावेदकगण
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.) – 485001

आदेश
(दिनांक 08.01.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत क्रमांक 327/2011 तीरथ राम दाहिया विरूद्ध अधीक्षण यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2011 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि वर्ष 91–92 में उसने 5 हार्स पावर का विद्युत कनेक्शन लिया था । कुंए में पानी की कमी के कारण उसने 07.12.2001 को स्वीकृत भार कम कराया था तथा 5 हार्स पावर के स्थान पर 1 हार्स पावर का मोटर संचालित किया था । 03.06.05 को विद्युत तार को चोरों ने काट दिया था, उसने इस बात की लिखित सूचना विद्युत मण्डल को दी थी, परन्तु तत्संबंध में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा 05.07.11 को उसे 74728/– रू. का देयक जारी किया गया था, अतः उसकी समस्या का समाधान कराया जाए ।

3. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया था कि प्रश्नगत विद्युत संयोजन में विद्युत का उपयोग दिनांक 03.06.05 तक ही किया जाना साबित होता है, अतः उक्त दिनांक तक की बकाया राशि उपभोक्ता से वसूल की जाए। दिनांक 03.06.05 के पश्चात् विद्युत उपभोग के संबंध में जो भी देयक उपभोक्ता को जारी किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए ।

4. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन जरिए डाक प्रेषित कर निवेदन किया है कि उसे विद्युत संयोजन न दिए जाने के कारण उसे 50,000/– रू. की वार्षिक क्षति हो रही है, अतः उसे विद्युत कनेक्शन दिए जाने का आदेश दिया जाए तथा उसे नुकसानी हर्जाना दिलाया जाए ।

5. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** – क्या उपभोक्ता वांछित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

6. उपभोक्ता ने जरिए डाक आवेदन पत्र प्रेषित किया है, परन्तु वह अपने अभ्यावेदन की सुनवाई के लिए कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है । उपभोक्ता ने फोरम द्वारा निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पूर्व या पश्चात जमा नहीं की है, अतः इसी आधार पर उसका अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता ने अभ्यावेदन में जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष दिलाए जाने का अनुरोध उसने फोरम के समक्ष नहीं किया था । फोरम ने जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष को उपभोक्ता द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । अतः उक्त तथ्यों से यह साबित है कि उपभोक्ता ने अभ्यावेदन में जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

7. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल